सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
543/2017	प्रा0पत्र 136 RLRA	22.12.2017	10.01.2018

1. अरूणकुमार उर्फ अरूणप्रकाश पुत्र स्व. हनुमानप्रसाद जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी रतननगर जिला चूरू हाल निवासी 61–B ब्लॉक, बांगड़ ऐवेन्यु, कोलकाता – 700055 जरिये मुख्तार देवप्रकाश पुत्र स्व. हरिप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी रतननगर हाल निवासी 18–परिवहन नगर, बालूपुरा रोड, अजमेर (राज.)
2. राजेश अग्रवाल पुत्र स्व. ओमप्रकाश जाति अग्रवाल (महाजन) निवासी रतननगर जिला चूरू हाल निवासी 270–A जोधपुर पार्क, कोलकाता – 700068 जरिये मुख्तार देवप्रकाश पुत्र स्व. हरिप्रसाद जाति अग्रवाल निवासी रतननगर हाल निवासी 18–परिवहन नगर, बालूपुरा रोड, अजमेर (राज.)

–प्रार्थीगणगण–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री भीमसिंह शेखावत व श्री नरेश कुदाल प्रार्थीगण
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा संख्या 214 तादादी 22 बीघा 4 विश्वा, खसरा संख्या 270 तादादी 9 बीघा 12 विश्वा एवं खसरा संख्या 926/214 तादादी 9 बीघा कुल तादादी 40 बीघा 16 विश्वा रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में स्थित है। उक्त खसरा भूमियों को प्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा परिवार के काश्त करने के लिए खरीद किया था। सम्वत् 2064 से 2067 तक की जमाबन्दी में काश्तकार के रूप में "लक्ष्मी बेवाह हनुमान, ओमप्रकाश, अरूणकुमार पि. हनुमान ब.हि.ब. 1/2 हि. बृजमोहन, राधेश्याम पि. रामकुमार ब.हि.ब. 2/12 हि. मैनादेवी, पार्वती पुत्रियां रामकुमार ब.हि.ब. 2/12 हि. मु. शान्ति बेवा परसराम, कैलाश, गोविन्द, गोपाल पि. परसराम, किरण पुत्री परसराम 1/12 हि. मु. लक्ष्मी बेवा कांतिप्रसाद, शिवप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र कांतिप्रसाद, किरण विद्या, ज्योति पुत्रियां कांतिप्रसाद ब.हि.ब. 1/12 हि. कौम महाजन अग्रवाल सा.देह खातेदार" के नाम दर्ज थे। चूंकि सम्वत् 2064 तक जमाबन्दी में दर्ज सभी सदस्य एक ही परिवार के थे अतः उनकी जाति संयुक्त रूप से अन्त में ("कौम महाजन अग्रवाल सा.देह खातेदार") दर्ज की हुई थी। यह कि दिनांक 24.03.2008 को खातेदार बृजमोहन एवं राधेश्याम के द्वारा उपरोक्त कृषि भूमियों में से अपने हिस्से की भूमि का विक्रय मंसुख पुत्र रामकुमार कस्वां एवं महासिह पुत्र हरचन्दराम जाट के पक्ष में कर दिया जिसके पश्चात् उक्त दोनों क्रेताओं का नाम जमाबन्दी में जरिये नामान्तरण आदेश संख्या 865 के किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि मंसुख पुत्र रामकुमार कस्वां एवं महासिंह पुत्र हरचन्दराम जाट के द्वारा खरीद की गई भूमियों का विक्रय सचेन्द्र कड़वासरा पुत्र भूपसिंह कड़वासरा जाति जाट निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ जिला चूरू के पक्ष में कर दिया गया जिसके पश्चात् हुए नामान्तरण के प्रभाव से सम्वत् 2071 से 2074 की जमाबन्दी में काश्तकारों के नाम, जाति एवं पते निम्न प्रकार से दर्ज हो गये–

"लक्ष्मी बेवाह हनुमान, ओमप्रकाश, अरूणकुमार पि. हनुमान ब.हि.ब. 1/2 हि. सचेन्द्र कड़वासरा पुत्र भूपसिंह कड़वासरा जाति जाट निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ (चूरू) हि. 1/6, मैनादेवी, पारवती पुत्रियां रामकुवार ब.हि.ब. 1/6 हि. मु. शान्ति बेवा परसराम, कैलाश, गोविन्द, गोपाल पि. परसराम, किरण पुत्री परसराम 1/12 हि. मु. लक्ष्मी बेवा कांतिप्रसाद, शिवप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र कांतिप्रसाद, किरण विद्या, ज्योति पुत्रियां कांतिप्रसाद ब.हि.ब. 1/12 हि. कौम बनिया महाजन अग्रवाल सा.देह खातेदार"

यह कि वर्तमान में जब जमाबन्दियों में दर्ज नामों को पृथक्–पृथक् कर कम्प्यूटर में इन्द्राज किया गया तो 1, 2 एवं 12 नम्बर पर खातेदारों की जाति एवं पते भूलवश निम्न प्रकार से दर्ज कर दिये गये–

1. अरूणकुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति जाट निवासी नेसल छोटी, तह. राजगढ (चूरू) खातेदार
2. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति जाट निवासी नेसल छोटी, तह. राजगढ (चूरू) खातेदार
3. लक्ष्मी पत्नी हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति जाट निवासी नेसल छोटी, तह. राजगढ (चूरू) खातेदार

कम्प्यूटर में इन्द्राज करते समय उक्त तीनों खातेदारों लक्ष्मी बेवाह हनुमान, ओमप्रकाश, अरूणकुमार पि. हनुमान के नाम के आगे जाति जाट निवासी नेसल छोटी, तह. राजगढ (चूरू) अंकित कर दिया गया जबकि खातेदार संख्या 16 सचेन्द्र कड़वासरा के अतिरिक्त अन्य सभी खातेदार एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनकी जाति महाजन अग्रवाल तथा निवास रतननगर है। खातेदार संख्या 16 परिवार से अलग व्यक्ति है, किन्तु खातेदार संख्या 16 सचेन्द्र कड़वासरा के अन्य विवरण यथा जाति एवं पता टंकणीय त्रुटिवश खातेदार संख्या 1, 2 व 12 के नाम के आगे भी अंकित कर दिये गये हैं। उपरोक्त तीनों खातेदारों के नाम निम्न प्रकार से अंकित किये जाने चाहिये थे–

1. अरूणकुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार
2. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार
3. लक्ष्मी पत्नी हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार

यह कि मद संख्या 4 में जाहिर की गई टंकणीय त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिस बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि खातेदार संख्या 2 ओमप्रकाश का देहान्त दिनांक 16.04.2004 को हो चुका है, प्रार्थी संख्या 2 ओमप्रकाश का पुत्र है जिसे उपर वर्णित संशोधन करवाये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार खातेदार ओमप्रकाश का उत्तराधिकारी होने के कारण से प्राप्त है इसी प्रकार खातेदार संख्या 12 लक्ष्मी उर्फ कृष्णादेवी का देहान्त भी दिनांक 26.06.1982 को हो चुका है तथा प्रार्थीगण उक्त लक्ष्मी के उत्तराधिकारीगण हैं इस कारण से खातेदार संख्या 12 लक्ष्मी के नाम को संशोधित करवाने के लिए भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि मामले में अन्य सह–हिस्सेदारों के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष वांछित नहीं है ना ही वांछित संशोधन किये जाने से सह–हिस्सेदारों का हित किसी भी प्रकार से प्रभावित होता है, इसलिए सह–हिस्सेदार आवश्यक पक्षकार नहीं होने से उन्हें प्रार्थना पत्र की कार्यवाही में संयोजित नहीं किया गया है। यह कि वांछित संशोधन जिन कृषि भूमियों की बाबत है वह रतननगर की रोही में स्थित है जिस पर माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर मर्यादा अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मद संख्या में वर्णित खसरा भूमियों की वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार संख्या 1, 2 एवं 12 की जाति एवं पते निम्न प्रकार से संशोधित किये जावें:–

1. अरूणकुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार
2. औमप्रकाश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार
3. लक्ष्मी पत्नी हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट–1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज नायब तहसीलदार, चूरू ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही ग्राम रतननगर की जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 के ख.नं. 214, 270, 926/214 तादादी 40.16 बीघा में प्रार्थीगण की जाति व पता सही अंकित था, परन्तु सेग्रिगेशन की जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से संयुक्त खातेदार सचेन्द्र की जाति जाट होने से प्रार्थीगण की जाति भी जाट व पता नेशल छोटी त. राजगढ़ अंकित हो गया है। उक्त त्रुटि लिपिकीय भूल से हुई है। अतः दुरूस्त किया जाना उचित है। पैरोकार राज की ओर से इकबाल जवाब पेश होने पर वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार तथा पैरोकार राज की ओर से पेश जवाब के आधार पर पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदार संख्या 1, 2 व 12 की जाति व पते शुद्ध करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रा०पत्र में प्रार्थी सं. 1 व 2 ने जरिये मुख्त्यार यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी सं. 1 की स्वयं की एवं प्रश्नगत कृषि भूमि के खातेदार सं. 2 व 12 का स्वर्गवास हो जाने से उनकी ओर से प्रार्थी सं. 2 के खातेदार सं. 2 का पुत्र होने व प्रार्थीगण के खातेदार सं. 12 के जायज वारिस होने से खातेदार सं. 2 व 12 की जाति व पते सही अंकित करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से पेश जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 ग्राम रतननगर के ख.नं. 214, 270, 926/214 तादादी 40.16 बीघा में प्रार्थीगण की जाति व पता संयुक्त खातेदारी में अन्य सह–हिस्सेदारों के साथ संयुक्त रूप से महाजन अग्रवाल सा. देह अंकित है। उक्त जमाबन्दी में प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार मंसुख व महासिंह द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण सं. 865 एवं सचेन्द्र कड़वासरा द्वारा खरीदशुदा भूमि का नामान्तरण सं. 900 को नोट अंकित है। प्रश्नगत खसरा नम्बरों की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 में लक्ष्मी बेवाह हनुमान, ओमप्रकाश, अरूणकुमार पि. हनुमान ब.हि.ब. 1/2 हि. सचेन्द्र कड़वासरा पुत्र भूपसिंह कड़वासरा जाति जाट निवासी नेशल छोटी तहसील राजगढ़ (चूरू) हि. 1/6, मैनादेवी, पारवती पुत्रियां रामकुवार ब.हि.ब. 1/6 हि. मु. शान्ति बेवा परसराम, कैलाश, गोविन्द, गोपाल पि. परसराम,

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किरण पुत्री परसराम 1/12 हि. मु. लक्ष्मी बेवा कांतिप्रसाद, शिवप्रकाश उर्फ रामप्रकाश पुत्र कांतिप्रसाद, किरण विद्या, ज्योति पुत्रियां कांतिप्रसाद ब.हि.ब. 1/12 हि. कोम बनिया महाजन अग्रवाल सा.देह खातेदार अंकित है। उक्त जमाबन्दी में वर्तमान खातेदार सं. 1, 2 व 12 के ठीक बाद में सचेन्द्र कडवासरा का नाम अंकित है जिसके नाम के बाद सचेन्द्र की जाति जाट व पता नेसल छोटी तहसील राजगढ अंकित है, परन्तु प्रार्थीगण के नाम के आगे जाति व पता अंकित नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के नाम के आगे जाति व पता अंकित नहीं होने से ही सचेन्द्र की जाति व पते को भूलवश प्रार्थीगण की जाति व पता मानते हुए प्रार्थीगण की जाति व पता गलत अंकित हो गया जो कि सेग्रिगेशन के पश्चात् बनी प्रश्नगत कृषि भूमि की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम रतननगर के अवलोकन से भी स्पष्ट होता है, जिसमें प्रत्येक खातेदार का नाम, जाति, पता व खातेदार के हिस्से क्रमवार अंकित किये गये हैं। इस प्रकार उक्त त्रुटि सहवन से होना प्रमाणित होती है एवं लिपिकीय भूल की श्रेणी में ही आती है जिसको सही अंकित करवाने के लिए प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा पैरोकार राज ने भी इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार किया जाना उचित बताया है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पडने की सम्भावना भी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित होने से स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर वादग्रत कृषि भूमि खसरा संख्या 214 तादादी 22 बीघा 4 विश्वा, खसरा संख्या 270 तादादी 9 बीघा 12 विश्वा एवं खसरा संख्या 926/214 तादादी 9 बीघा कुल तादादी 40 बीघा 16 विश्वा रोही रतननगर तहसील व जिला चूरू में अंकित खातेदार संख्या 1, 2 एवं 12 की जाति एवं पते संशोधित किये जाकर निम्न प्रकार से अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है:-

1. अरूणकुमार पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट-1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार
2. औमप्रकाश पुत्र हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट-1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार
3. लक्ष्मी पत्नी हनुमान हिस्सा 1/6 हैक्ट-1.7199 जाति महाजन अग्रवाल निवासी रतननगर (चूरू) खातेदार

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

आदेश आज दिनांक 10.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू